



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024 / 406


दर्ज तिथि:-09.09.2024

1. मोटाराम पुत्र जेहाराम
जाति मेघवाल निवासी लाखाणी गोदारों की ढाणी, निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. उदाराम पुत्र धर्मराम
2. चम्पा पुत्री निम्बाराम
3. डाऊ पुत्री निम्बाराम
4. डालुराम पुत्र जेहाराम
5. तुलसी पुत्री निम्बाराम
6. दुर्गाराम पुत्र मगाराम
7. भभूताराम पुत्र जेहाराम
8. मूमोदेवी पत्नी जालाराम
9. रूखमो पत्नी निम्बाराम
10. रावताराम पुत्र निम्बाराम
11. लिसमी पुत्री निम्बाराम



12. खरथाराम पुत्र जालाराम फौत कायम मुकाम

12.1 कमलादेवी पत्नी खरथाराम

12.2 खेताराम पुत्र खरथाराम (नाबालिग की वली माता कमलादेवी)

जाति मेघवाल साकिन लाखाणी गोदारों की ढाणी, निम्बलकोट, तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

13. तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री ठाकराराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955



—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-16.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 206/2.7102 है0, 212/7.2486 है0 वाके ग्राम लाखाणी गोदारों की ढाणी, निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बेय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुरेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण के हाजिर न्यायालय नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् वादी अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 18.11.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार नौखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर. ए./2024/339 दिनांक 02.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। उक्त कुरेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नौखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/339 दिनांक 02.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुरेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots	प्रकरण में दिनांक 06.03.2025 को तहसीलदार नौखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

<p><i>given to each party, and if any field has been subdivided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</i></p>	
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 951-964 दिनांक 18.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 06.03.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 951-964 दिनांक 18.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 06.03.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076-2079 तथा कुर्रैजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 206/2.7102 है0, 212/7.2486 है0 वाके ग्राम लाखाणी गोदारों की ढाणी, निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रैजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रैजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैं:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल

सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 206/2.7102 है0, 212/7.2486 है0 वाके ग्राम लाखाणी गोदारों की ढाणी, निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मोटाराम पुत्र जेहाराम हि0 पूर्ण	भैराराम	206	1.6037	बा0सो0
कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार	मूढ नगर	212	0.6093	बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 2.2130 है0				
भभूताराम पुत्र जेहाराम हि0 7829 / 11065	भैराराम	206	1.1065	बा0सो0
दुर्गाराम पुत्र मगाराम हि0 3236 / 11065	मूढ नगर			
कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार				
कुल किता 01 रकबा 1.1065 है0				

उदाराम पुत्र धर्मराम हि0 1/6 खरथाराम पुत्र जालाराम हि0 1/12 चम्पा पुत्री नीम्बा हि0 1/36 डाऊ पुत्री नीम्बा हि0 1/36 तुलछी पुत्री नीम्बा हि0 1/36 मूमो पत्नी जाला हि0 1/12 रुखमो पुत्री नीम्बा हि0 1/36 रावताराम पुत्र नीम्बाराम हि0 1/36 लिसमी पुत्री नीम्बा हि0 1/36 भभूताराम पुत्र जेहाराम हि0 1/6 डालूराम पुत्र जेहाराम हि0 12424/66393 नानगाराम पुत्र आईदानराम हि0 9707/66393 कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार	भैराराम मूढ नगर	212	6.6393	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 6.6393 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखडा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024 / 406

दर्ज तिथि:-09.09.2024

1. मोटाराम पुत्र जेहाराम
जाति मेघवाल निवासी लाखाणी गोदारों की ढाणी, निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. उदाराम पुत्र धर्मराम
2. चम्पा पुत्री निम्बाराम
3. डाऊ पुत्री निम्बाराम
4. डालुराम पुत्र जेहाराम
5. तुलसी पुत्री निम्बाराम
6. दुर्गाराम पुत्र मगाराम
7. भभूताराम पुत्र जेहाराम
8. मूमोदेवी पत्नी जालाराम
9. रूखमो पत्नी निम्बाराम
10. रावताराम पुत्र निम्बाराम
11. लिसमी पुत्री निम्बाराम
12. खरथाराम पुत्र जालाराम फौत कायम मुकाम
12.1 कमलादेवी पत्नी खरथाराम
12.2 खेताराम पुत्र खरथाराम (नाबालिग की वली माता कमलादेवी)
जाति मेघवाल साकिन लाखाणी गोदारों की ढाणी, निम्बलकोट, तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

13. तहसीलदार नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री ठाकराराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 206/2.7102 है0, 212/7.2486 है0 वाके ग्राम लाखाणी गोदारों की ढाणी, निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मोटाराम पुत्र जेहाराम हि0 पूर्ण कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार	भैराराम मूढ नगर	206 212	1.6037 0.6093	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 2.2130 है0				
भभूताराम पुत्र जेहाराम हि0 7829 / 11065 दुर्गाराम पुत्र मगाराम हि0 3236 / 11065 कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार	भैराराम मूढ नगर	206	1.1065	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.1065 है0				
उदाराम पुत्र धर्मराम हि0 1 / 6 खरथाराम पुत्र जालाराम हि0 1 / 12 चम्पा पुत्री नीम्बा हि0 1 / 36 डाऊ पुत्री नीम्बा हि0 1 / 36 तुलछी पुत्री नीम्बा हि0 1 / 36 मूमो पत्नी जाला हि0 1 / 12 रूखमो पुत्री नीम्बा हि0 1 / 36 रावताराम पुत्र नीम्बाराम हि0 1 / 36 लिसमी पुत्री नीम्बा हि0 1 / 36 भभूताराम पुत्र जेहाराम हि0 1 / 6 डालूराम पुत्र जेहाराम हि0 12424 / 66393 नानगाराम पुत्र आईदानराम हि0 9707 / 66393 कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार	भैराराम मूढ नगर	212	6.6393	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 6.6393 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी

के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाडमेर

